रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2112] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939
No. 2112] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

का.आ.2403(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और, चिलका अभयारण्य, नालाबन (भुवनेश्वर से 90 किलोमीटर और ब्रहामपुर, ओडिशो से 80 किलोमीटर पर अवस्थित) को अधिसूचना सं 23403/एफएफएएच, तारीख 17 दिसबंर, 1987 या ओडिशा सरकार के तत्कालीन वन, मत्स्य और पशुपालन विभाग (अब

वन और पर्यावरण विभाग) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

और, अभयारण्य ओडशा के पुरी जिले में अवस्थित है चिलका लगुन का नालाबन द्वीप 672 एकड़ (6.72 वर्ग किलोमीटर) में फैला हुआ है, जिसका द्वीप के चारो और 1 किलोमीटर की चौड़ाई में 881 हेक्टेयर (8.81 वर्ग किलोमीटर) में बफर जोन है जो कुल मिलाकर 1553 हेक्टेयर (15.53 वर्ग किलोमीटर) है, को अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था कम ज्वार के दौरान ही कीचड़ तल उभर कर सामने आता है।

और, चिलका लगून एक रामसर स्थल है। अभयारण्य की भरणीयता की समुचित संरक्षण क्रियाकलापों से अभिन्न रूप से संबद्ध है, जिनको संपूर्ण लगुन पर किया जाता है। अभयारण्य में कोई मानव बस्तियां नहीं है तथा अभयारण्य के भीतर लोगों के कोई अधिकार विद्यमान नहीं है

और, चिलका लगून विश्व भर में प्रवासी जलप्रवाह के लिए प्रमुख सर्दियों के मैदानों में से एक के रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। चिलका अभयारण्य, नालाबान के अंतर्गत लगून को सबसे बड़ा पक्षी मण्डली क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। चिलका में, पक्षी प्रजातियों का एक विविध समूह पाया गया है, जिसमें 50 परिवारों की 225 प्रजातियां शामिल हैं। इसमें बत्तख और हंस की 20 प्रजातियां, 8 परिवारों की बगुलों की 48 प्रजातियां, गल और टर्न की 17 प्रजातियां, पक्षियों के शिकार की 14 प्रजातियां और बगुलों और सफेद बगुलों की 11 प्रजातियां हैं। 225 प्रजातियों में से, 100 प्रवासी हैं। आर्कटिक रूस, पश्चिम एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्व साइबेरिया और मंगोलिया से प्रवासी जल पक्षी सर्दियों में आर्द्रभूमि पर वास करते हैं और वसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) के दौरान अपने प्रजनन मैदान पर वापस जाने के लिए अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए जाते हैं। पक्षियों की वार्षिक स्थिति सर्वेक्षण से पता चलता है कि 8,00,000 से 10,00,000 पक्षियों का लगून प्रतिवर्ष उपयोग करते हैं। अभयारण्य, लगून के एक प्रतिनिधि भाग के रूप में, उपरोक्त विभिन्न पक्षीजीवों का भी पालन करता है। इस लगून में इर्रावड्डी डॉल्फिन के फ्लैगशिप कैटासियन का वास है। अभयारण्य के अंतर्गत चिलका में इर्रावड्डी डॉल्फिन आबादी की वार्षिक स्थिति सर्वेक्षण से पता चलता है कि पूरे लगून में 150 से अधिक व्यक्ति मौजूद हैं और ऊपर की काफी बड़ी संख्या है;

और, अभयारण्य में पुष्प और वनस्पति के फाइटोपलानक्टोनस्, एल्गेल समुदायों और संवहनी पौधों का निर्माण होता है। विवरणों से पता चलता है कि अभयारण्य के लगून में फाइटोपलानक्टोनस् की 399 प्रजातियां और संवहनी पौधों की 150 प्रजातियां पाई जाती है। अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता की उपस्थिति से संकेतित प्रजातियां हैं जैसे शैवाल-22 प्रजातियां, पौधें-720 प्रजातियां, ज़ूपलानक्टोनस्- 170 प्रजातियां, प्रोटोजोआ-61 प्रजातियां, पोरीफेरा- 7 प्रजातियां, कोएलेंटेरेटस्-7 प्रजातियां, नेमेटोड्स -37 प्रजातियां, मोल्लसूका-136 प्रजातियां, एनेलिड्स-1 प्रजातियां, क्रस्टैसस-28 प्रजातियां, डिकापोड-34 प्रजातियां, इचिनोडर्म्ट-5 प्रजातियां, प्रोटोचार्डेट्-1 प्रजातियां, मछली- 267 प्रजातियां, उभयचरों-7 प्रजातियां, और सरीसृप-30 प्रजातियों,के अलावा पक्षी और फाइटोपलानक्टोनस् हैं;

और, चिलका अभयारण्य, नालाबन की सीमा से 1 किलोमीटर के विस्तार के अंदर आने वाले क्षेत्र का पैरा 4 और पैरा 5 में यथाविनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित और परिरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में अभयारण्य को प्रभावित करने वाली संक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा राज्य में चिलका अभयारण्य, नालाबन (जैसा कि इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध मानचित्र में उपदर्शित किया गया है) की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है।

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन समान रूप से चिलका अभयारण्य नालाबन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है।

(2) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 19.56 वर्ग किलोमीटर है पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन और वन्यजीव अभयारण्य, दोनों के चार बिन्दुओं के भू- समन्वयको की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में उपदर्शो के अनुसार राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के विचारण और अनुमोदन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना को राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिंद्धातों, यदि कोई हो, के अनुसार तैयार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग; और

(xii) मत्स्य विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर तब तक कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि अधिसूचना में उस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया गया हो तथा आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों के अधिक दक्ष होने और पारिस्थितिक अनुकूल होने में सुधार करने के लिए एक कारक होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडो, झीलों और अन्य जल निकायों का और समर्थनकारी

मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी। योजना की विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग लक्षणों के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा सहायता की जाएगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन के विकास को विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक अनुकूल जीवोकोपार्जन को सुनिश्चत किया जा सके।

(8) आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए इस अधसूचना के उपबंधों द्वारा उसके मानीटरी के कृत्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्रों मेँ आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों को प्रमुख वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को आंचलिक महायोजना में मानचित्रों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमियों का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश और आंचलिक नगर योजना अधिनियम यथालागू केंद्रीय/राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अधीन पूर्व अनुमोदन के साथ स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा अर्थात्-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन की सहायता करने के लिए सुविधाएं, जिसके अंतर्गत गृह आवास भी हैः

परंतु यह और कि वाणिज्यिक और उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी उपयोग को आंचलिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के 244 के उपबंधो या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, उपयोग अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगीः

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

उपयोग न की गई या अननुपादन करने वाले कृषि क्षेत्रों को वानिकीकरण और पर्यावास प्रत्यावर्तन क्रियाकलापों के माध्यम से पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोत** – सभी प्राकृतिक स्रोतों/नदियों/धाराओं की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और पुनरूद्धतकरण के लिए योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का संघटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों को नीचे दिए अनुसार विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिसोर्टो के नए संनिर्माण को वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें से जो भी नजदीक हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को केवल पूर्व परिभाषित और पारिस्थितिक पर्यटन प्रसुविधाओं के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन (एक किलोमीटर से परे) के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन का विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के सभी स्थल जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में उनके पारिरक्षण और संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों, ऐतिहासिक, भवन-विन्यास, सौन्दर्य और सांस्कृतिक महत्व की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के एक भाग के रूप में उनके परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, तथा उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की अनुपालना में होगा।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनके संशोधनों की अनुपालन में होगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा उपदर्शित मानको और उनके संशोधनों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, की अनुपालना में पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, के अनुसार किया जाएगा;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में पारिस्थितिक संवेदी जोन से बाहर पहचान किए गए स्थल पर किया जाएगा;

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन नीचे दिए अनुसार होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ईलैक्टानिकी अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ईलैक्टानिक अपशिष्ट (ई- अपशिष्ट) नियम 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों की अनुपालन के अनुसार होगा। स्वच्छ ईधन जैसे सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण नीचे दिए अनुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढालों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी, जिनमें किसी संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) विद्यमान तीव्र पहाड़ी ढलानों या उच्च भूस्खलन वाले पहाड़ी ढलानों पर नए संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित संवर्धित क्रियाकलापों की सूची – चिलका अभयारण्य नालाबन में सभी क्रियाकलापों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53 और तदधीन विरचित नियमों के अनुसार प्रशासित किया जा रहा है तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर क्रियाकलापो का प्रशासन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम1986 (1986 का 29) तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा और उसको नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होगे,अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां को, जिसके अंतर्गत भूमि की संनिर्माण या घरों की मरम्मत और वैयक्तिक उपयोग के लिए आवास के लिए कच्ची टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है, को स्थानीय निवासियों की सदभावपूर्वक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों को या उनके विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।
3.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें से जो भी नजदीक हो, सिवाय पारिस्थितिक पर्यटन अनुकूल कार्यकलापो के लिए लघु अस्थायी संरचाओं के, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें से जो भी नजदीक हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।
4.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी नजदीक हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को उनकी भूमि में अपने उपयोग के लिए संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप है, को भवन उपविधियों के अनुसार स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया

		जाएगा, जैसे कि (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण तथा पुनरूद्धार; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फरवरी 2016 के वर्गीकरण के अनुसार प्रदूषण कारित न करने वाले के रूप में परिभाषित लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग; सुविधाजनक स्टोर और पारिस्थितिक पर्यटन की सहायता करने वाली स्थानीय सुविधाएं, जिसके अंतर्गत गृह आवास हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध क्रियाकलापों का संवर्धन :
5.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	उच्च पारेषण लाइनों का बिछाना।	पक्षी अभयारण्य होने के नाते पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर उच्च पारेषण लाईनों का बिछाना प्रतिषिद्ध है।
7.	अनुपचारित बहिस्रावों का प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्रों में बहिर्स्राव।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधाओं की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार/ ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की सुविधा की स्थापना अनुज्ञात नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापन/ अस्पतालों आदि से सृजित ठोस अपशिष्ट के कीसी भी रूप के भष्मीकरण के उपचार की सामान्य या व्यष्टिक सुविधा की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ।
9.	फर्मों, निगम, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने के वाणिज्यिक पशुपालन और कुक्कुट पालन की स्थापना ।	सिवाय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
11.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हैलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रो लाइट आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से अत्यंत नीची उडान।	सदभावपूर्ण अनुसंधान, मानीटरी या सर्वेक्षण प्रयोजनों से भिन्न, के लिए प्रतिषिद्ध ।
12.	पॉलिथीन बैग का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
13.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
14.	ईंट के भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
15.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
16.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिर्वतन।	प्रतिषिद्ध, चूंकी यह प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के दक्षिण की ओर छोटे कीचड़ के मैदानों से संबंधित है, जिसकी पुन: प्राप्ति नहीं की जानी चाहिए।

विनियमित क्रियाकलाप		
17.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित जल/ बहिर्स्राव का निस्सारण।	अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव के जल निकायों में डालने से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: चक्रण और पुर्न उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
18..	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमियों पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी । (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
19.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत और संचार टावरों को लगाना तथा केबलों और अन्य अवसंरचानाओं को बिछाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित । भूमिगत केबलीकरण का संवर्धन किया जाएगा ।
21.	अवसंरचना, जिसके अंतर्गत नागरिक सुविधाएं ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़को का संनिर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
25.	पौधो, प्राणियों, पक्षियों और मछलियों की विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	सतह और भूमिगत जल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरियों, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्यकी के साथ चालू कृषि और बागवानी पद्धतियां ।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर प्रदूषणकारी उद्योग और गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योगो, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्री से उत्पादो का उत्पादन कर रहे है, को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
30.	आउट बोर्ड ईजन नावों का उपयोग और रात में नावों का संचलन।	वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी तक आउट बोर्ड ईंजन नावों के संचलन को विनियमित किया जाएगा और रात में नावों के संचलन को विनियमित किया जाएगा । स्वच्छ ईंधन के

		उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
31.	पटाखों को चलाना और तेज आवाज।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में पटाखों को चलाना तथा तेज आवाज को विनियमित किया जाएगा।
32.	कीटनाशक, नाशक जीवमार और शाकनाशी का उपयोग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर, जहां तक संभव हो, विनियमित किया जाएगा।
संवर्धित क्रियाकलाप		
33	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईधनों का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, सीएनजी, एलपीजी आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कृषि-वाणिकी	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	अनुपजाऊ भूमि/वनों पर्यावास का पुनरूद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	समुदायिक प्रकृति के जलाशय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	क्लेक्टर, पुरी	अध्यक्ष;
(ख)	पुलिस अधीक्षक, पुरी	सदस्य ;
(ग)	मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनो का एक प्रतिनिधी	सदस्य ;
(घ)	पारिस्थिति और पर्यावरण के क्षेत्र से ओडिशा सरकार द्वारा नामर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य ;
(ङ)	ओडिशा राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य ;
(च)	खंड विकास अधिकारी	सदस्य ;
(छ)	ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य–सचिव का प्रतिनिधि	सदस्य ;
(ज)	प्रभागीय वन अधिकारी-सह वन्यजीव वार्डन, चिलका वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव ;

6. **निर्देश निबंधन** (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति की कालावधि अधिसूचना जारी करने के तारीख से तीन वर्ष की होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधो के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन नहीं आतें है। और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते है, सारणी के पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय उनकी संवीक्षा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा की जाएगी और संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के कीसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा-दर-मुद्दा आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति 31 मार्च तक के अपने सभी क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक की गई कारवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/45/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

चिलका वन्यजीव अभयारण्य, नालाबन, ओडिशा का मानचित्र

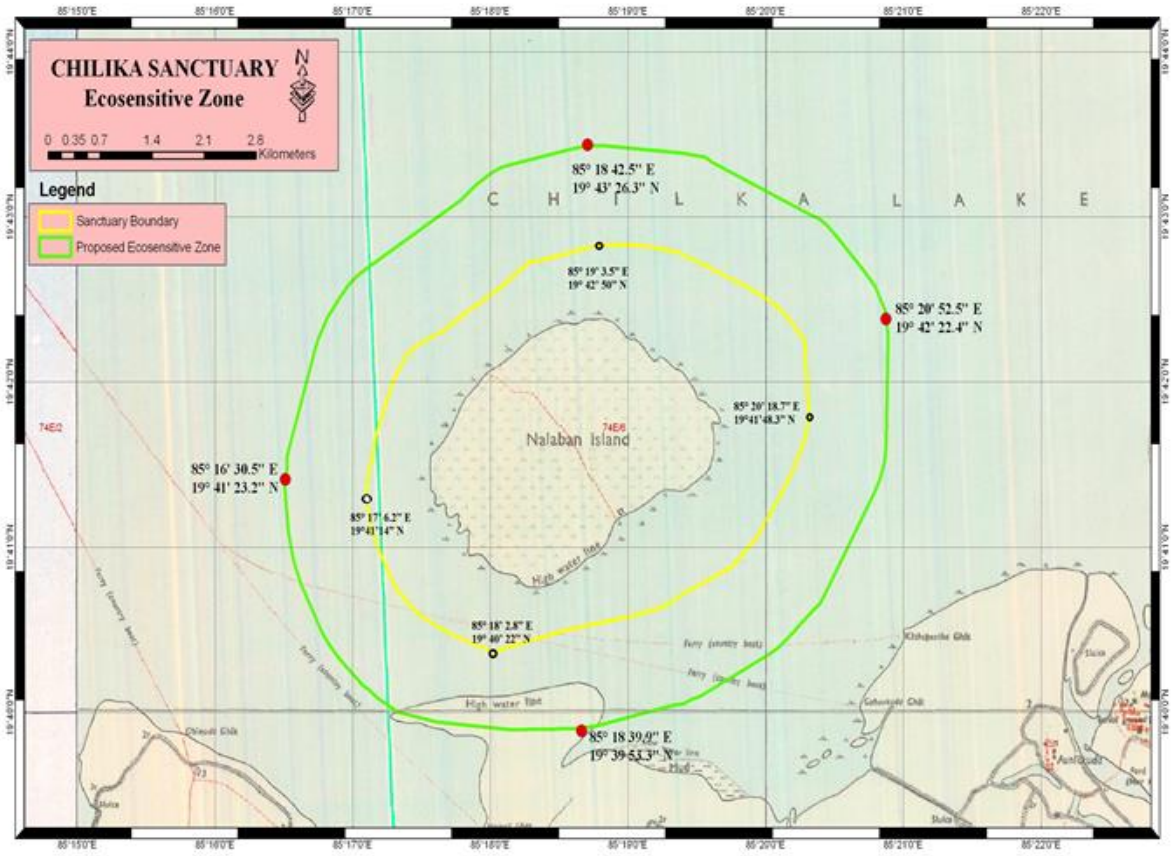

उपाबंध-II

चिलका अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के दूरस्थ बिंदुओं के भू- निर्देशांक

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा	उत्तर	85° 18' 42.5" पू 19° 43' 26.3" उ
	पश्चिम	85° 16' 30.5" पू 19° 41' 23.2" उ
	दक्षिण	85° 18' 39.9" पू 19° 39' 53.3" उ
	पूर्व	85° 20' 52.6" पू 19° 42' 22.4" उ
अभयारण्य सीमा	उत्तर	85° 19' 3.5" पू 19° 42' 50" उ
	पश्चिम	85° 17' 6.2" पू 19° 41' 14" उ
	दक्षिण	85° 18' 2.8" पू 19° 40' 22" उ
	पूर्व	85° 20' 18.7" पू 19° 41' 48.3" उ

उपाबंध-III

चिलका अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के अवस्थान

क्र.सं	पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम के नाम				पारिस्थिति संवेदी जोन में एक बिंदु के भू-निर्देशांक	टिप्पणियां
	जिला	तहसील	मौजा	पारिस्थितिक संवेदी जोन में पूर्णतः या अंशतः		
1	पुरी	करूसनापरासाद	करूसनापरासाद	अंशतः	19° 40' 13.89" उ 85° 17' 36.72" पू	मानसून में कोई आवास नहीं, जलमग्न
2			सीपीया	अंशतः	19° 40' 11.45" उ 85° 19' 7.96" पू	मानसून में कोई आवास नहीं, जलमग्न
3			अनलाखुदा	अंशतः	19° 40' 53.92" उ 85° 20' 6.94" पू	मानसून में कोई आवास नहीं, जलमग्न
4			नालाबाना	अंशतः	19° 42' 24.31" उ 85° 17' 21.26" पू	गैर आबाद मौज़ा

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

S.O.2403(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Chilika Sanctuary, Nalaban (located about 90 kms. from Bhubaneswar and 80 kms from Berhampur, Odisha) was notified vide Notification No. 23403/FFAH, dated the 17th December, 1987 or erstwhile Forests, Fisheries and Animal Husbandry Department (now Forest and Environment Department) of Government of Odisha;

AND WHEREAS, the sanctuary is situated in the Puri district of Odisha. The Nalaban Island of the Chilika lagoon is spread over 672 hectares (6.72 Sq. Kms.) with a buffer zone of one kilometer width around the island spreading over 881 hectares (8.81 Sq. Kms.) totaling 1553 hectares (15.53 Sq. Kms.) was declared as the sanctuary. A mud flat emerges only during low tides;

AND WHEREAS, Chilika lagoon is a Ramsar site. The viability of the sanctuary is integrally linked to proper conservation activities which are being undertaken over the entire lagoon. The sanctuary has no human settlement and there exists no rights of people within the sanctuary;

AND WHEREAS, the Chilika lagoon is well recognized throughout the world as one of the prime wintering grounds for migratory waterfowls. The Chilika Sanctuary, Nalaban within the lagoon has been designated as the single largest bird congregation area. In Chilika, a diverse group of bird species have been found, which includes 225 species belonging to 50 families. It consists of 20 species of ducks and geese, 48 species of waders belonging to 8 families, 17 species of gulls and terns, 14 species of birds of prey and 11 species of herons and egrets. Of the 225 species, 100 are migratory. Migratory water birds from Arctic Russia, West Asia, Europe, North East Siberia and Mongolia visit this wetland to spend the winter and to refuel their energy to go back to their breeding grounds during the spring season (March-April). Annual Status Survey of Birds reveal that over 8,00,000 to 10,00,000 birds utilize the lagoon annually. The sanctuary being a representative portion of the lagoon also nurtures the above diverse avifauna. Irrawaddy dolphin is the flagship cetacean inhabiting this lagoon. Annual status survey of the Irrawaddy dolphin population in Chilika reveals presence of 150 plus individuals in the entire lagoon and quite a sizeable population of the above occurs within the sanctuary;

AND WHEREAS, phytoplanktons, algal communities and vascular plants constitute the flora and vegetation of the sanctuary. Reports reveal that 399 species of phytoplanktons and 150 species of vascular plants in the lagoon are found in the sanctuary. The rich biodiversity of the sanctuary is indicated by the presence of species like Algae-22 species, Plants-720 species, Zooplanktons-170 species, Protozoa-61 species, Porifera-7 species, Coelenterates-7 species, Nemotodes-37 species, Mollusca-136 species, Annelids-1 species, Crustaceas-28 species, Decapoda-34 species, Echinodermata-5 species, Protochordata-1 species, Fish-267 species, Amphibians-7 species and Reptile-30 species apart from Birds and phytoplanktons;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area falling within one kilometer extent from the boundary of the Chilika Sanctuary, Nalaban as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view as specified in Para 4 and 5 and prohibit activities affecting the sanctuary in the said Eco Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area falling within one kilometer from the boundary of the protected area of Chilika Sanctuary, Nalaban in the State of Odisha (as shown in the map annexed to this notification as **Annexure–I**) as the Eco- sensitive Zone;

1. Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone.- (1) The said Eco Sensitive Zone extends uniformly up to one kilometer from the boundary of the protected area of Chilika Sanctuary, Nalaban.

(2) The area of the proposed eco-sensitive zone is 19.56 Sq. Kms. The map of the Eco-sensitive Zone is at **Annexure-I.**

(3) The list of geo co-ordinates of four points of both the Eco Sensitive Zone and the Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-II.**

(4) The list of villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any. The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment or State Pollution Control Board;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal ;
(x) Panchayati Raj ;
(xi) Public Works Department;and
(xii) Fisheries Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vide the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Land use**.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities. Such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps,:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies**.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism**.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone (beyond 1 kilometre) shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage**.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man- made Heritage Sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise Pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air Pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of Effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid Wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii)the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio Medical Wastes.-** Bio medical waste management shall be as under:

(i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Electronic Waste.-** The Electronic Waste (E-Waste) Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular Traffic.-** The vehicular traffic movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification.

(17) **Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Chilika Sanctuary, Nalaban are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act 53 of 1972 and rules framed thereunder) and activities within the ESZ shall be governed under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activities	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, Stone Quarrying and Crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification.
3.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
4.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per

		building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification.
5.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Laying of new high transmission lines	Being a bird Sanctuary, the laying of new high transmission lines is prohibited in the Eco Sensitive Zone.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
10.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
11.	Under taking other activities related to tourism like extremely low over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited except it is for bonafide research, monitoring or surveillance purposes.
12.	Use of Polythene Bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Commercial Use of Firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
16.	Drastic Change in Agricultural Systems.	Prohibited since it relates to small mudflats in the Southern side of the proposed Eco Sensitive zone which should not be reclaimed.
Regulated Activities		
17.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water.
18.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the

		rules made thereunder.
19.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
21.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
23.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
24.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
25.	Introduction of Exotic Species of plants, animals, birds and fishes	Regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
30.	Use of outboard engine boats and movement of boats during night.	The movement of outboard engine boats shall be regulated for a distance of one kilometre from the boundary of the WLS and movement of boats shall be regulated during night. Efforts to be made for the use of clean fuel.
31.	Bursting of crackers and loud sound	The Bursting of crackers and loud sound shall be regulated in the Eco-Sensitive Zone.
32.	Use of pesticides, insecticides and herbicides.	Shall be regulated to the extent possible within the Eco Sensitive Zone.
Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of eco-friendly technology for all activities	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio gas, solar light, CNG, LPG, etc. to be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
43.	Community Nature Reserves	Shall be actively promoted.

Prohibited Activities as specified above shall come into effect from the date of issue of Draft Notification.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(a) Collector, Puri —Chairman;

(b) Superintendent of Police, Puri —Member;

(c) One representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Chief Wildlife Warden —Member;

(d) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by Government of Odisha for a period of three years —Member;

(e) Member of Odisha State Biodiversity Board —Member;

(f) Block Development Officer —Member;

(g) Representative of Member Secretary, Odisha State Pollution Control Board —Member;

(h) Divisional Forest Officer cum Wildlife Warden, Chilika WL Division- —Member Secretary.

6. Terms of Reference.- (1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/45/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

MAP OF CHILIKA WILDLIFE SANCTUARY, NALABAN, ODISHA

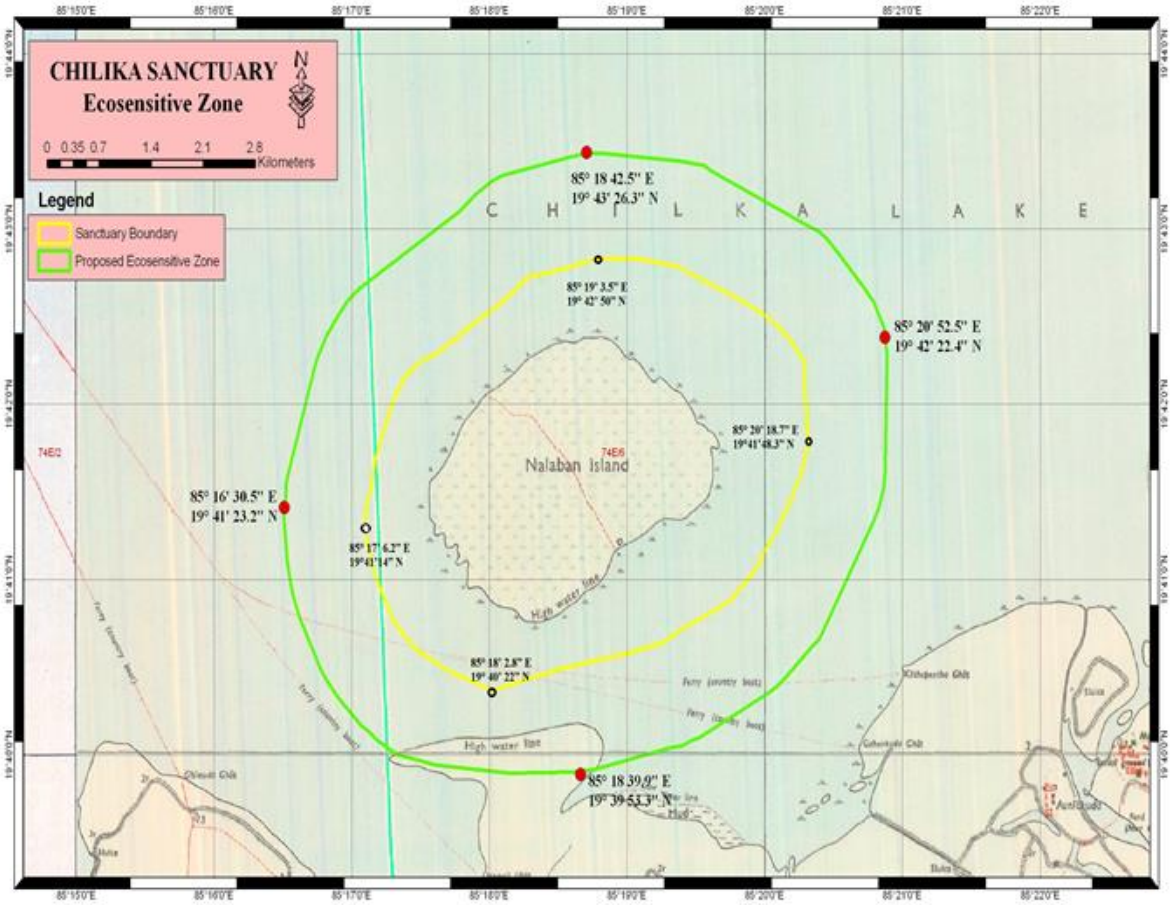

Annexure-II

GEO COORDINATES OF EXTREME POINTS OF BOUNDARIES OF ECO-SENSITIVE ZONE AND CHILIKA SANCTUARY

Eco Sensitive Zone Boundary	North	85° 18’ 42.5” E 19° 43’ 26.3” N
	West	85° 16’ 30.5” E 19° 41’ 23.2” N
	South	85° 18’ 39.9” E 19° 39’ 53.3” N
	East	85° 20’ 52.6” E 19° 42’ 22.4” N
Sanctuary Boundary	North	85° 19’ 3.5” E 19° 42’ 50” N
	West	85° 17’ 6.2” E 19° 41’ 14” N
	South	85° 18’ 2.8” E 19° 40’ 22” N
	East	85° 20’ 18.7” E 19° 41’ 48.3” N

Annexure-III

LOCATIONS OF VILLAGES WITHIN THE ECOSENSITIVE ZONE OF CHILIKA SANCTUARY

Sl. No	Name of Revenue village falling within the proposed ESZ				Geo-coordinate of one point of the village in ESZ	Remarks
	District	Tahasil	Mouza	Whether fully or partly falling within the ESZ		
1	Puri	Krushnaprasad	Krushnaprasad	Partly	19° 40’ 13.89” N 85° 17’ 36.72” E	No habitation, Submerged in monsoon
2			Sipia	Partly	19° 40’ 11.45” N 85° 19’ 7.96” E	No habitation, Submerged in monsoon
3			Anlakuda	Partly	19° 40’ 53.92” N 85° 20’ 6.94” E	No habitation, Submerged in monsoon
4			Nalabana	Partly	19° 42’ 24.31” N 85° 17’ 21.26” E	Uninhabited Mouza

Annexure-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); [Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.01 12:11:43 +05'30'